भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3125

09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राजस्थान में चिकित्सा महाविद्यालय

3125. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के झुंझुनू जिला मुख्यालय में एक चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त चिकित्सा महाविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से आवश्यक अनुमोदन मांगा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अनुमोदन कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार उक्त चिकित्सा महाविद्यालय में छात्रों का प्रवेश इस वर्ष तक सुनिश्चित करने के लिए तत्काल स्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी), झुंझुनू को वर्ष 2019 में 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के चरण- III के तहत 325 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई थी, जिसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाना है। 195 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से में से 100 करोड़ रुपए पहले ही राजस्थान सरकार को जारी किए जा चुके हैं। स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कीम के तहत अनुमोदित मेडिकल कॉलेजों की योजना, कार्यान्वयन और कमीशनिंग राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, जीएमसी, झुंझुनू ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) को आवेदन किया है।

******